न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी जिला जोधपुर

पीठासीन अधिकारी :– हंसमुख कुमार आर.ए.एस.

राजस्व वाद पत्र :– 55/2024

वादी	बनाम	प्रतिवादीगण
1. केवलराम पुत्र भीयाराम, जाति मेगवाल उम्र वर्ष निवासी खेतानाड़ी मंडोर रोड़ जोधपुर।		1. पपली देवी पत्नी श्री पुखराज जाति मेगवाल 2. भंवरी देवी पत्नी श्री बाबूलाल जाति मेगवाल 3. भीकली देवी पत्नी ढलाराम जाति मेगवाल 4. लीला देवी पत्नी श्री श्रवणराम जाति मेगवाल 5. सन्तोष देवी पत्नी श्री ओमप्रकाश जाति मेगवाल, निवासीगण ग्राम निबंला, तहसील लूणी जिला जोधपुर। 6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार लूणी।

वाद बाबत् विभाजन कृषि जोत व स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति : –

1. वादी की ओर से अधिवक्ता सचिन दवे।

दिनांक :– 12-1-2026

–: आदेश :–

वादी द्वारा एक राजस्व वाद 55/2024 बाबत् कृषि जोत का विभाजन एवं स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा का पेश किया जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादी एवं प्रतिवादीगण की संयुक्त खातेदारी की कब्जा काश्त की कृषि भूमि ग्राम ग्राम निबंला पटवार हल्का कांकाणी तहसील लूणी के खसरा नम्बर 72/1 रकबा 11.9139 हैक्टेयर आई हुई है। प्रतिवादी संख्या 1 से 5 द्वारा मौखिक बंटवाड़ा अनुसार सहमति प्रदान कर प्राथमिक डिकी जारी कर वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य बंटवाड़ा प्रस्ताव मंगवाए जाने का निवेदन किया है।

वाद में प्राथमिक डिकी दिनांक 24.02.2025 को किया जारी किया गया एवं तहसीलदार लूणी को बाई मिट्स एण्ड बाउन्ड्स बंटवाडा प्रस्ताव पेश करने हेतु तहरीर जारी की गई। तहसीलदार लूणी के माफिक प्राथमिक डिकी पक्षकारान् के मध्य नियमानुसार अपनी रिपोर्ट मय बंटवाडा प्रस्ताव पत्र कमांक भू.अ. /2025/3167 दिनांक 24.10.2025 को पेश किया गया। वादी का विवादग्रस्त भूमि मे नाम संयुक्त खातेदारी मे दर्ज (जमाबंदी दिनांक 15.10.2025 से स्पष्ट) है। तहसीलदार लूणी द्वारा प्रेषित बंटवाडा प्रस्ताव दिनांक 24.10.2025 मय मौका फर्द दिनांक 15.10.2025 को की गई जिसके आधार पर वादी एव प्रतिवादीगण के मध्य विभाजन प्रस्ताव पेश किया जो संलग्न पत्रावली है। तहसीलदार लूणी द्वारा पेश बंटवाड़ा प्रस्ताव व राजस्व रेकर्ड मे दर्ज हिस्सेनुसार प्रस्तावित बंटवाडा प्रस्ताव निम्ननुसार है –

क्र.स.	खातेदार विवरण	खसरा नम्बर	रकबा हैक्टर मे	किस्म	लगान
1.	केवलराम पि. भीयाराम 343/736 जाति मेगवाल सा. 158 खेतानाड़ी मंडोर रोड़ जोधपुर।	72/1	5.5522	बा. तृतीय	8.9385
2.	पपली देवी पत्नी पुखराज 1/8 जाति मेगवाल सा. देह	72/1	1.48925	बा. तृतीय	2.3975
3.	भंवरी देवी पत्नी श्री बाबूलाल 1/8 जाति मेगवाल सा. देह	72/1	1.48925	बा. तृतीय	2.3975
4	भीकली देवी पत्नी ढलाराम 25/736 जाति मेगवाल सा. देह	72/1	0.4047	बा. तृतीय	0.6514
5.	लीला देवी पत्नी श्री श्रवणराम 1/8 जाति मेगवाल सा. देह	72/1	1.48925	बा. तृतीय	2.3975
6.	सन्तोष देवी पत्नी श्री ओमप्रकाश 1/8 जाति मेगवाल, सा. देह	72/1	1.48925	बा. तृतीय	2.3975

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
लूणी

उक्त बटवाडा प्रस्ताव का अवलोकन किया गया। बहस सुनी गई पत्रावली का अवलोकन किया जाने पर दोनो पक्षकाराण संयुक्त खातेदार होने के कारण वादी व प्रतिवादीगण का बंटवाडा प्रस्ताव स्वीकार कर अंतिम डिक्री पारित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

–: आदेश :–

अतः वादी द्वारा प्रस्तुत वाद बाबत बंटवाडा प्रस्ताव स्वीकार किया जाकर तहसीलदार लूणी को आदेश दिया जाता है कि बंटवाडा प्रस्ताव मौका फर्द दिनांक 15.10.2025 के अनुसार विभाजन कर वादी एव प्रतिवादीगण का हिस्सा राजस्व रेकार्ड मे अलग से बटा नम्बर दर्ज कर राजस्व रेकर्ड मे अमल दरामद करे तथा राजस्व नक्शे मे तरमीम इन्द्राज करे। तद्नुसार डिक्री पर्चा जारी हो। बंटवाडा प्रस्ताव एव मौका फर्द दिनाक 15.10.2025 डिक्री का अभिन्न अंग समझा जावे। तहसीलदार लूणी को आदेश की पालना हेतु तहरीर जारी हों। पत्रावली फैसल शुमार होकर दफ्तर दाखिल हो।

(हंसमुख कुमार RAS)
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
लूणी